

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

कार्यहित में कॉलम दो (2) अंकित विभिन्न कार्यालय प्रधान को उनके द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में कॉलम चार (4) में अंकित कार्यपालक सहायक को नियोजित करने हेतु उपलब्ध कराया जाता जाता है।

क्र०	अधियाची पदाधिकारी का कार्यालय एवं पत्रांक दिनांक	ID No.	नाम	पिता का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के पत्रांक 88 दि-15.03.17	VAI000182	सौरभ कुमार	अशोक ठाकुर	
2	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के पत्रांक 88 दि-15.03.17	VAI000542	अनुभव कुमार	अजीत कुमार सिंह	
3	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के पत्रांक 88 दि-15.03.17	VAI000880	संतोष कुमार	ठागा महतो	

जिला पदाधिकारी,
वैशाली

शर्त :-

1. नियोजन हेतु नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. इन्हें दिनांक 12/4/17 तक अंकित कार्यालय में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
4. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी /नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
6. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

- प्रतिलिपि- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, वैशाली/सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी(RTPS), वैशाली हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्कारों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाइट) (ग) एक यू0पी0एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीनों दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नही करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।